

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथमि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

संखनज. दिनांक: 15-8-2020

-:कार्यालय ज्ञाप:-

अद्वितीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कानूनी कोरुनिस्स अंक इमिग्रेशन नई दिल्ली द्वारा निर्देशित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा परिषद उद्योग लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रधान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद उद्योग लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदिता नई संस्थाओं एवं सम्बद्धता/पूर्व में संभालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/व्यवस्थापक/प्रकाशकों युक्ति निर्दिष्ट अन्य मदी पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रधान किए जाने का निर्णय लिया गया। जहां कि अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक 15 मई-21 में डिप्लोमा इन हावी परावरणन सम्बन्धि कानूनी मदी पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का एकलव्य सत्र सम्भलित सर्किडी द्वारा प्रधान विचार-विमर्श कर निर्णय निर्दिष्ट किया गया।

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएँ जिनके द्वारा संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों में से कतिपय पाठ्यक्रमों को कृषिक क्षेत्र किये जाने का अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु एंजाईन्री/सीडी/डी द्वारा प्रयत्न अनुमोदन के अनुसार ही परिषद से सम्बद्धता प्रधान किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पाठ्यक्रमों में पूर्व से व्यवस्थित छात्र/छात्राओं के डिप्लोमा उल्लिखित होने तक वह सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का होगा। समिति ने यह भी निर्दिष्ट किया कि इस संस्था में यह भी सुनिश्चित हो ले कि संस्था की कोई शैक्षणिक देनदारी अवशेष न हो।

दिनांक 14-08-2020 को प्रमुख सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में मिले सत्र में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु तिल्लकित सर्की को अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उत्तराधिकार प्रोक्त करता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रधान की जाती है।

क्र. सं.	संस्था संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एंजाईन्री/सीडी/डी द्वारा सत्र 2020-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	एंजाईन्री/सीडी/डी परिषद द्वारा सत्र 2020-21 अनुमोदित प्रवेश संख्या
1.	1185	एलिसिया इंस्टीट्यूट ऑफ पाबीटेकनिक, सिरोज-मजगाधपुर, सीरी, प्रताप नगर।	पैरीटेकन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंटरमीडियट टैकनीक त्रिनिटि युक्ति सैटेलाइट इंजीनियरिंग	120 120 120 120 60 60 60	120 120 120 120 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एंजाईन्री/सीडी/डी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों तथा 1982-2015 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करने की तैयारी करना सुनिश्चित करने की बात निर्धारित हुकूम तीस एंजाईन्री/सीडी/डी/प्रकाशकों हेतु एक ₹2,15,000/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय कार्यवाही लागू करने हेतु एक ₹2,25,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की लैंग्विज पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय) करने की आवश्यकता के अतिरिक्त ₹2-22,50,000 प्रतिवर्ष हुकूम ही प्रत्येक छात्र/छात्रा के प्रत्येक तिमाही जमावमें। इच्छुकता के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से हुकूम के सम्बन्ध में सम्बन्ध-समाप्त पर धारण द्वारा निर्मित किए जाने वाले इच्छुकता के अतिरिक्त धोने और सम्बन्धित कार्यक्रमों किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारित समिति द्वारा सत्र 2020-21 में संस्थाओं का पुन-निर्धारण किया जाता है तो प्रवेश की नवीकरण पर जायु होगी।

(Handwritten Signature)

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितिओं तथा तृतीय समितिओं) संस्थाओं को संयुक्त शिक्षा समिति (निमित्त) प्रस्तावित-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की संख्या 20 छात्रों की सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आर0सी0टी0आई0/पी0सी0आई0 से आगाही सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तुत गये विधि/नियमों/अभिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशिक प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा प्रस्तावित नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्ली में इन पारमैसी पाठ्यक्रम की स्थापना यदि पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिमूलक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई फंड वापर किया जाता है तथा वापर वाद के सत्रों में वा वापस लेने द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्ली में इन पारमैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिकांश द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आधीकृत प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से आगवा संस्था स्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-नामिका, जयजय, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सांसाध्य उपलब्ध कराने के साथ संविदा रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति की समस्त उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-पत्र, पत्राचार इत्यादि का पूर्ण सत्यापन द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति को आवेगी।
- ✓ सम्बद्धता सती का अनुपालन न किये जाने अथवा सती का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(महेश्वर कुमार कर्माचार्य)
सचिव/कुल सचिव

संदर्भ नं०: 15-09-2020

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/1972-3141

प्रतिलिपि:- प्रशासनात्मक/निदेशात्मक, एडिशनल इन्स्पेक्टर ऑफ प्राथमिक शिक्षा, विज्ञान-साहायपुर, धरौरी, फर्रुखाबाद, मथुरा।

(महेश्वर कुमार कर्माचार्य)
सचिव/कुल सचिव

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 15-5-2019

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

:- कार्यालय ज्ञापन:-

उत्कृष्ट भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रायः वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु जिल्लाया तृतीय मानकीय पाठ्यक्रम कार्यालय को अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उद्योग लखनऊ को सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को उद्योग प्राविधिक शिक्षा परिषद को सम्बद्धता की आवश्यकता में परिषद कार्यालय में बतौर संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु उद्योग प्राविधिक शिक्षा परिषद को सम्बद्धता/पुर्ब से स्थापित संस्थाओं का सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता निर्धारण/कर्म हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सत्र-2 में विद्यमान इत तृतीय पाठ्यक्रम सामान्य तौर पर जारी रखे से सम्बद्धता विचार का प्रकरण संचालित किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श पर निम्नलिखित निर्णय किया गया :-

"संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निर्धारित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग लखनऊ से सम्बद्धता विचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नांकित संस्थाओं पर विचार की सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उद्योग लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम पर लक्ष्य अधिका प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

सत्र	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईटी/पीओसी/पीटीओसी/पीटीओसी द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
I	1132	एन.एस.टी.इ.टी.ए.के. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, लखनऊ	इंजीनियरिंग	15	15
			इंजीनियरिंग	20	20
			इंजीनियरिंग	20	20
			इंजीनियरिंग	30	30
			इंजीनियरिंग	40	40
			इंजीनियरिंग	40	40
			इंजीनियरिंग	40	40
			इंजीनियरिंग	40	40
			इंजीनियरिंग	40	40
			इंजीनियरिंग	40	40
			इंजीनियरिंग	40	40
			इंजीनियरिंग	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- सम्बद्धता हेतु संस्था को पूर्णतः संचालित करने का पूर्णतः वास्तविक होना।
- संस्था उद्योग लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा 1962 तक प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता करके उत्कृष्ट भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करके सत्र 2019-20 हेतु उद्योग प्राविधिक शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- संस्था को उद्योग प्राविधिक शिक्षा परिषद से सत्र 2019-20 हेतु उद्योग प्राविधिक शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञापः:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 19/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दान पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1185-EDIFI INSTITUTE OF POLYTECHNIC, SAHZADPUR,
PAURI, FARHA, MATHURA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	120	120
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
5	INFORMATION TECHNOLOGY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण

समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्यीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30160.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्यीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्यीय पाठ्यक्रमों (दो वर्यीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त

का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध की जायेगी।

✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, EDIFI INSTITUTE OF POLYTECHNIC, SAHZADPUR, PAURI, FARHA,
MATHURA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव